न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 2/210/2023 दायर दिनांकः– 01/08/2023

जीसीएमएस नं0:–2023/486 निर्णय दिनांकः– 10/06/2024

वउनवान

1. रोशनलाल पुत्र हरेती जाति जाटव निवासी कठूमर
2. नत्थू पुत्र हरेती जाति जाटव निवासी कठूमर तहसील कठूमर
3. रघुवीर पुत्र हरेती जाति जाटव निवासी कठूमर
4. पूरन पुत्र चिरंजी जाति जाटव निवासी कठूमर
5. लक्ष्मण पुत्र चिरंजी जाति जाटव निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर।

------ प्रार्थीगण

बनाम

1. शिवकुमर पुत्र पुरू जाति जाटव निवासी निर्भयपुरा
2. विजेन्द्रसिंह पुत्र पुरू जाति जाटव निवासी निर्भयपुरा तहसीलान मालाखेडा जिला अलवर।
3. राज0 सरकार जरिये सब रजि0 कठूमर।

----- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

उपस्थितिः–1. श्री रामजीलाल शर्मा –अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर

–:आदेशः–

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 346 रकबा 0.42 हैक्ट0 वाके ग्राम कठूमर

10.6.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में सायल एंव गैरसायलान की सायल के पूर्वज मंगतू पुत्र भूरजी दिलसुख , अंगना पुत्रान दौजी हरेती चिरंजी पुत्रान भौदू की खातेदारी में दर्ज थी। तमाम साबिक राजस्व रिकॉर्ड में सायलान के पूर्वजों के हिस्सेनुसार खातेदारी में इन्द्राज दर्ज है। मंगतू पुत्र भूरजी व दिलसुख पुत्र दौजी ने अपने 1/4 –1/4 कुल 1/2 हिस्से का बयनामा गैरसायलान के पिता पुरू पुत्र सुख्खा जाति जाटव के हक में दिनांक 17.07.1975 को रजि0 कराया है, उस बयनामा में मंगतू व दिलसुख ने पूर्ण हिस्सा पर अपना कब्जा बताते हुये खिलाफ कानून खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से एवं सम्पूर्ण हिस्से का बयनामा रजि0 कराया था, जबकि मंगतू एवं दिलसुख का 1/2 हिस्सा था 1/2 हिस्से को बयनामा कराने का अधिकार था, जबकि सायलान के पूर्वज अंगना व हरेती ने अपने हिस्से की आराजी का बेचान नही किया विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के पूर्वज अंगना हरेती का 1/2 हिस्से पर कब्जा था। सम्पूर्ण हिस्सा पर विक्रेता मंगतू व दिलसुख का कब्जा नही था। उक्त रजि0 बयनामा में सायलान के पूर्वज अंगना हरेती के हिस्से का जो बेचान किया गया है वो गलत होने से उक्त बयनामा दिनांक 17.07.1975 प्रार्थीगण के हक हकूकों के खिलाफ वातिल बेअसर प्रभावहीन व शुन्य करार किये जाने योग्य है। विवादित आराजी बाबत एक राजस्व वाद संख्या 1/174/93 वउनवान पूरू बनाम खिच्चू बगैरा के विरूद्व इस्तकरारहक व हूकमदवामी का दिनांक 17.0.7.1975 उक्त सालिम आराजी को अपनी खातेदारी में दर्ज कराने बाबत पेश कियाजिसमें अदालत श्रीमान के आदेशिका दिनांक 03.09.1993 में राजीनामा पेश करने का अंकन है, उक्त मुकदमा वादीगण ने मिलीभगत कर फर्जी तरीके से अदालत को गुमराह कर दिनांक 17.06.94 को नर्णित करा डिक्री करा लिया जिसमें प्रार्थीगण पूर्वज ना तो न्यायालय अदालत में हाजिर हुये ना ही कोई राजीनामा पेश किया, ना ही राजीनामा पर हस्ताक्षर अंगूठा किये गयें, जो निर्णय एवं डिक्री सायालान के हक हकूकों तक प्रारम्भ से शुन्य नल एवं वॉयड प्रभावहीन है। सायल 1 ला 3 के पिता हरेती ने खातेदार नत्थू, घनश्याम पुत्रान अंगना से उनका 1/4 हिस्सा जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 07.07.1983 को जरिये

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

वय देकर व मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। जिसका इन्तकाल संख्या 865 केता हरेती के नाम दर्ज व स्वीकार हो गया लेकिन उक्त इन्तकाल का अमल जमाबन्दी में नही हुआ विवादित आराजी पर सायल 1 ला 3 का 1/8 हिस्सा विरासत से प्राप्त व 1/4 हिस्सा जरिये रजि0 बयनामा खरीदशुदा है। कुल 3/8 हिस्से पर सायल 1 ला 3 काबिज रहकर काश्त कर रहे है। 1 ला 8 हिस्से पर सायल संख्या 4 ला 5 रहकर काश्त कर रहे है। उक्त आराजी से गैरसायलान का कोई संबंध व सरोकार नहीं है उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में गैरसायलान सख्यां 1 व 2 के मृतक पिता पूरू का नाम गलत रूप से दर्ज रहने से सायलान के हक व हकूकों पर गलत असर पड रहा है। अतःगैरसायलान को पाबंद कराये जाने एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 13.10.2023 को गैरसायल बावजूद रजि0 डाक सूचना तामील के उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल वाके ग्राम कठूमर एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2046 नकल जमाबन्दी संवत 2054 नकल नामान्तरण संख्या 865 नकल बयनामा 17.7.1975 नकल बयनामा 07.07.1983 नकल इन्तकाल 1244 नकल डिकी फैसला राजीनामा न्यायालय की आदेशिका प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट शपथ पत्र दिनांक 17.06.1994 की छाया प्रति पेश की है, जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल की एकपक्षीय बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। जमाबन्दी में विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। उसी समय से सायल उक्त आराजी पर

10.6.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

काबिज है। उक्त आराजी के कब्जे काश्त में गैरसायलान मुझसे झगडा करते है व जबरन बेदखल कर कब्जा करने की धमकी देते है। गैरसायलान को पाबन्द किया जावे। हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। गैरसायलान बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से विवादित आराजी खसरा नम्बर 346 रकबा 0.42 हैक्ट0 वाके ग्राम कठूमर पर सायल का कब्जा प्रतीत होता है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान सायल को उक्त आराजी से बेदखल कर सकते है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकसान या क्षति एवं असुविधा होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः प्रथम दृष्टा मामला सुविधा का सन्तुलन एंव अपूरणीय क्षति अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में साबित होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 346 रकबा 0.42 हैक्ट0 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 01.08.2023 मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.6.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)